समापण भाषण

माननीय सदस्यगण,

षोड्श बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2018 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिहार विधान सभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । षोड्श बिहार विधान सभा के दशम् सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 05 (पाँच) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । सभा सचिव द्वारा विशेष न्यायालय सी०बी०आई० राँची के पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स०वि०स० के निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-11 (ग्यारह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन द्वारा बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के कुल 163 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की मुद्रित प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

Contd....2...

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा-22(3) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-182, दिनांक 25.05.2018 की प्रति एवे बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई तथा शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

Contd....3...

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018.
2) बिहार औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018.
3) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018.

सत्र के दौरान कुल-710 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 558 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 10 अल्पसूचित, 490 तारांकित एवं 58 प्रश्न अतारांकित थे । इन प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर सदन में हुआ । शेष 557 प्रश्न अनागत हुए । इन अनागत प्रश्नों में से 300 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-126 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 46 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 72 अस्वीकृत हुए ।

इस सत्र में कुल-137 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 132 स्वीकृत हुए एवं 05 अस्वीकृत हुए । कुल-87 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 58 स्वीकृत एवं 29 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीकण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।